

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....

..... खेताराम बनाम रूप सिंह वगैरे

किस्म मुकदमा..... राजस्व डा/१९६७ नं..... ३११ सन्..... २०१९

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>24/9/19</p> <p>21/10/19</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुमार सिंह चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>१११, १२८</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>२१/१०/१९</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>विप्राधी</u> सहायक कलक्टर (SDO) बायलु</p> <p>प्रार्थी पक्षील उपलब्धत। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल बुझा प्राप्त जिसे वापिल पत्रावली किज गप्या। विप्रार्थीगण वावजुड तामिल अनुपलब्धत। न्यायालय सम्मन तीन बार कावाज लगाई गई। कलितम कावाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर के कोई प्राधिकरता उपलब्धत नही बुझा लिहाजा उनके विरुद्ध एडव(न) कापवाली कमल लाई जाली है मतः वास्ते कहल पत्रावली दिनांक 13/11/19 को पेश हो। <u>विप्राधी</u></p> <p style="text-align: right;"><u>सहायक कलक्टर (SDO)</u> बायलु</p>	<p>370</p> <p><u>25/9/19</u></p>



13/11/19

प्रार्थी वहील उपस्थित। विप्रागिण
 प्रार्थी के अधिकारता की संपत्तीय वस्तु को
 प्रार्थी के अधिकारता द्वारा वसाला की प्रार्थी व
 विप्रागिणों के खातेदारी खेत सेना लेने का उर
 है। प्रार्थी व विप्रागिणों के खेतों के बिजु जो भुजानी
 माने व ठगे कामे हुए ये जो वर्तमान में प्राधिशो
 की वजह से विव्यर गये हैं जिस कारण प्रार्थी व
 विप्रागिणों के मध्य वसाला बना रहना है वसाल
 होने पर विप्रागिण प्रार्थी के खातेदारी खेत का
 सेना तोड़कर हास्त कर लेते हैं। जिस कारण प्रार्थी
 को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नैयमबन्दी का
 पाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नैयमबन्दी का
 इन स्वीकार किया जाकर नैयमबन्दी काये किया जावे।
 कल: प्रार्थी अधिकारता के निवेदन

पर प्रार्थी का नैयमबन्दी कावेदन स्वीकार किया जाकर
 लक्ष्मीवार कामतु को इमिशन व सहायक सम्बन्धित
 भू-समिलेय निरिक्षक को सहायक इमिशन निश्चुन
 किया जाकर काये दिया जाता है कि काय स्वयं
 या सहायक इमिशन से प्रार्थी के खातेदारी खेतों
 की पक्की नैयमबन्दी मोड़ने पर इमिशन शुल्क रुपये-
 500/- जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
 शामिल पत्रावली व पत्रावली फेल शुभा होकर
 दर्ज नम्बर से इस की दायित्व दफ्तार है।

विप्रागिण (500)
 13/11/2019

13/11/2019

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/

दिनांक:- 13/11/2019

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र हेमाराम वगैरा जाति जाट
निवासी खवालिया नाडा, बोड़वा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. रूपसिंह पुत्र परवतसिंह वगैरा जाति राजपुत
निवासी खवालिया नाडा, बोड़वा
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 311/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खवालिया नाडा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 291/212, 292/212 रकबा 17.00, 65.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

क्रमांक/वाद/2019/

959

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री खेताराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री रूपसिंह वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

वि. प्र. उपा. ए.
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (S.D.C.)
दिनांक:- 13/11/2019

वि. प्र. उपा. ए.
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु